

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवेलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
केन्द्रीय यॉत्रिक कर्मशाला परिसर,
हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना-14.
(e-mail-bsrdcltd@gmail.com)

/पटना-2, दिनांक-

विषय:- Hybrid Annuity Model (HAM) आधारित मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज सड़क परियोजना को जोड़ने वाले 4-लेन एट-ग्रेड/एलिवेटेड गंगा पथ निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का पत्रांक-BSRDCLtd-4846/2026-1889 दिनांक-03.06.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र एवं विभागीय अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार के परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, भागलपुर के अन्तर्गत Hybrid Annuity Model (HAM) आधारित मुंगेर (सफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज सड़क परियोजना को जोड़ने वाले 4-लेन एट-ग्रेड/एलिवेटेड गंगा पथ निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

शर्त:-

1. Hybrid Annuity Model (HAM) आधारित मुंगेर (साफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज सड़क परियोजना को जोड़ने वाले 4-लेन एट-ग्रेड/एलिवेटेड प्रस्तावित गंगा पथ की कुल लम्बाई 41.931 कि० मी० (At Grade पथांश कुल 30.051 कि० मी०, Elevated पथांश कुल 11.88 कि० मी०), उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित Connecting Road की

2

कुल लम्बाई 0.957 कि० मी० निर्माण में जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले परिसम्पत्तियों मात्र के उपयोग हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत किया जाता है।

2. प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिहार स्टेट रोड डेवेलोपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये Typical Cross-section (TCS) based on the Revised (R6) alignment के आधार पर निर्गत किया जाता है।
3. मुंगेर (साफियाबाद)-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज सड़क परियोजना को जोड़ने वाले 4-लेन एट-ग्रेड/एलिवेटेड प्रस्तावित गंगा पथ में निर्मित होने वाला Retaining Wall, Toe Wall, VUP, SUVP, LVUP, Box Culvert, Major Bridge, Minor Bridge, Fly Over, View Point, Spur एवं Ghat Development के संबंध में प्रावधान, संख्या एवं Locations Technically Sound, Site Specific एवं Optimized रखने का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवेलोपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
4. प्रस्तावित गंगा पथ में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित रूपांकण एवं तदनुरूप निर्माण गंगा नदी के Hydraulic Properties एवं Hydraulic Parameters एवं तत्संबंधी सुसंगत केन्द्रीय जल आयोग एवं भारतीय मानक संहिता के मानकों के अनुरूप कराया जाना होगा।
5. प्रस्तावित गंगा पथ में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का स्थल निर्धारण एवं निर्माण इस प्रकार करना/कराना होगा कि संरचना निर्माणोपरान्त किसी भी परिस्थिति में At Grade पथ के Country Side/River Side में Water Accumulation एवं Water Logging की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। यदि संरचना निर्माण से Country Side/River Side में Water Accumulation एवं Water Logging की स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त के निराकरण एवं देयता का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवेलोपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
6. विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो०)सि०वि०-10/2021 अंश-2670 दिनांक-01.07.2026 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन करने का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवेलोपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
7. प्रस्तावित गंगा पथ के निर्माण में At Grade पथ के River Side भाग की सुरक्षा हेतु गंगा नदी के मुख्य धारा एवं Spill Channel पर प्रस्तावित पथांश का गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय संबंधी प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित गंगा पथ के At Grade पथ के River Side भाग के सुरक्षात्मक कार्यों का स्वरूप प्रतिमान का अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न मानकों यथा IS Code-8408:1994, IS Code-14262:1995, IS Code-12094:2018, IRC-5-2015, IRC-89-2019 एवं केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा

✓

प्रकाशित Hand Book for Design of Flood Protection, Anti Erosion Measures & River Training Works, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, जिसके अनुरूप द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी समर्पित किये जाने वाले प्रस्ताव में समाहित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रस्तावित गंगा पथ के निर्माण में पथ का Finished level Nearby गंगा नदी के HFL+(1.80 मीटर) Free Board से कम किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए।
10. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 10.06.2026 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण में चैनेज संख्या-41+200 से चैनेज संख्या-41+900 में AT Grade पथ के स्थान पर Elevated पथ के संबंध में प्रस्ताव द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु समर्पित किये जाने वाले प्रस्ताव में समाहित किये जाने का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
11. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण में भारतीय मानक संहिताओं एवं अन्य संबंधित संगठनों द्वारा निर्धारित किये गये मानकों एवं विशिष्टि के अनुरूप क्रियान्वित कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
12. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण से यदि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है/स्थिति उत्पन्न होता है तो इस हेतु सम्पूर्ण व्यय का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
13. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण कार्य के दौरान सभी अपेक्षित सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षात्मक उपायों का पूर्णतः अनुपालन करना/कराना होगा। कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का अड़चन/दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
14. प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या-645 दिनांक 24.02.2022 (संशोधित पत्र) की कंडिका-23 की उपविधि (1) से (4) के दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर अनापत्ति संसूचित किया जा सकता है।
15. प्रस्तावित निर्माण कार्य से गंगा नदी के जल प्रवाह में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसे सुचारु एवं प्रभावी कराने का सम्पूर्ण व्यय की देयता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।

←

16. गंगा नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से As Per IS Code 11532:1995 के अनुसार बाँध के किसी भी Toes से 25 मीटर की दूरी तक मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
17. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण कार्य निमित्त आवश्यक कार्य यथा डायर्भसन सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को स्वयं के व्यय पर करना होगा। कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
18. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण क्षेत्र में गंगा नदी के Behaviour की सतत निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
19. कार्य के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
20. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण में कार्य हेतु यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी तो उक्त के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
21. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले भाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा अर्थात् जल संसाधन विभाग का स्वामित्व यथावत् बना रहेगा।
22. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण कार्य के पश्चात् पथ की मरम्मत एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
23. प्रस्तावित निर्माण कार्य के समय जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।
24. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
25. प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण में किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
26. Flood Plain Zoning के संबंध में वर्तमान में निर्गत एवं समय-समय पर निर्गत होने वाले प्रावधानों का अनुपालन बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

✓

27. विभागीय पत्रांक-608, दिनांक-05.08.2024 की कंडिका-7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
28. यह प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग, बिहार की तरफ से है। उक्त के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय संगठनों/आयोगों/निगमों एवं बिहार सरकार के अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
29. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा प्रस्तावित गंगा पथ के निर्माण हेतु कराये गये Mathematical Modelling के अंतिम प्रतिवेदन के प्राप्त सुझावों पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर निर्णयानुसार द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु समर्पित किये जाने वाले प्रस्ताव में आवश्यक समावेशन करना अनिवार्य होगा।
30. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित करना होगा।
31. द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि "प्रस्तावित संरचना का रुपांकण एवं आलेख संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"
32. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त निर्गत सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक-बा0नि0रुपां0प्र0-02-तक0(अना0)-214/2025-

/पटना-2, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

2

ज्ञापांक-बा0नि0रुपां0प्र0-02-तक0(अना0)-214 / 2026-

/पटना-2, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अभियन्ता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/
मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार/
अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

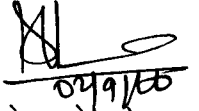
(ब्रजेश मोहन)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक-बा0नि0रुपां0प्र0-02-तक0(अना0)-214 / 2026- 338

/पटना-2, दिनांक-03/09/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।